न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

राजस्व विभिन्न पत्र संख्या : 2/2024

प्राथी

अप्रार्थी

भूराराम बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झंवर

किस्म मुकदमा– राजस्व विभिन्न प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 11.128 भू.राजस्व अधिनियम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7/1/2025	प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रकरण मे एक प्रार्थना पत्र बाबत शुद्विकरण का पेश किया गया जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई प्रार्थना पत्र को अवलोकन किया जाने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत होने पर स्वीकार किया जाता है कि प्रकरण मे खसरा नम्बर 349/7 के स्थान पर 349/3 व खसरा नम्बर 349/3 के स्थान पर 349/7 पढा जावे। प्रार्थी द्वारा अपने खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम लूणावास कला पटवार हल्का लूणावास कला तहसील झवर के खसरा नम्बर 349/7 रकबा 2.3067 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम के रूप मे आई हुई खसरा नम्बर 349/7 व 349/3 की पत्थरगढी करावाने हेतु न्यायालय मे प्रार्थना पत्र पेश किया गया प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार झॅवर से प्रकरण मे मौका जॉच रिपोर्ट तहरीर जारी की गई। तहसीलदार झॅवर के पत्र कमॉक/कोर्ट/2024/250 दिनाक 14.06.2024 के द्वारा प्रकरण मे जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई जॉच रिपोर्ट मे तहसीलदार झॅवर द्वारा मौका अनुसार खसरा नम्बर 349/7 के स्थान पर 349/3 व 349/3 के स्थान पर 349/7 शुद्विकरण किया जावे इसके पश्चात प्रार्थी हनुमानराम पुत्र भूराराम द्वारा बताये गये मौका कब्जा की पैमाईश की गई राजस्व रेकर्ड अनुसार खसरा नम्बर 349/3 का रकबा 10.05 बीधा है जबकि मौके पर 10.08 बीधा है खसरे मे 0.03 बीधा भूमि ज्यादा पायी गयी जिसकी नजरी नक्शे मे लाल स्याही से दर्शाया गया जिसे खसरा नम्बर 347/3 प्रार्थी की भूमि मे जोडा जाना उचित है एव मौका फर्द दिनाक 06.06.2024 के अनुसार पत्थरगढी की जाने की अनुशंषा की गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 भू.राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत होने पर स्वीकार किया जाता है तहसीलदार झॅवर को आदेश दिया जाता है कि मौका फर्द दिनांक 06.06.2024 के अनुसार विवादीत कृषि भूमि की पत्थरगढी की जावे। मौका फर्द दिनाक 06.06.2024 आदेश का भाग समझा जावे। पत्रावली फेसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी	